INDIA
TWENTY RUPEES

BEFORE THE BOARD OF REVENUE, BHOPAL, (M.P.).

R-4079-PBR/14 Revision No.-......../2014.

Mukesh Dhurvey,
S/o Late Shri Lala Ram Dhurvey,
Aged about 26 years,
R/o Thuaa Kheda, Kolar Road,
Bhopal. --126 **Applicant.**

Vs.

Somit Jain,
S/o Dr. Rajendra Kumar Jain,
adult,
R/o Kanchan Nagar, Phase-II,
Plot No.-139, Hoshangabad Road,
Bhopal. --- **Respondent.**

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

Revision under Section 50 of M.P. Land Revenue Code, 1959 against the Order dated 11-10-2014 passed by the Revenue Inspector, Mandal-3, Tehsil Huzoor, District Bhopal in Revenue Case No.-192/अ-12/2013-14 bearing titled as Somit Jain Vs. Nil through which the demarcation has been done of the property which was subject-matter of Civil Court and non-applicant was not in possession of the same since and also without complying with the

690 D. appeal

मुकेश धुर्वे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4079–पीबीआर / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–07–2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–10–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है और सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक ने उपस्थित होकर आपत्ति भी प्रस्तुत की है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन हुआ है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	